


# प्राथना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्राथना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

यूनिस बनाम कमरू

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.2022	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढ़ा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.11.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी ख0नं0 803 रकबा 0.1100हे0, 804 रकबा 0.11 हे0 किता 2 रकबा 0.22 हे0 वाके ग्राम खोहा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखे।</p> <p>क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 15.11.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  किशनगढ़बास(अलवर) </p>	

15/11/22 वकील प्रार्थी उप0 वास्ते इन्तजार तामिल दिनांक 27-12-22 को पेश हो।

27-12-22 परपक्षी पेश इन्तरी वादी का मुल्वाद मदम हाजरी मदम पेशी में खारिज हो चुका है। अतः वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट मदम हाजरी मदम पेशी में खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फेरसत शमर होकर संलग्न मुल्वाद है।